



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2881

दिनांक: 20/10/23

देव भूमि डवलपर्स जरिये पार्टनर  
श्री मुकेश यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव  
पंजीकृत कार्यालय:- 158, महावीर नगर बी,  
बाबा पैराडाईज के पास, गोल्यावास मानसरोवर, जयपुर।

विषय:- ग्राम तेजावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 247, 248, 249 कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना "कृष्णा कुंज" का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा ग्राम तेजावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 247, 248, 249 कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना "कृष्णा कुंज" का मानचित्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया है।

आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम तेजावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 247, 248, 249 कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना "कृष्णा कुंज" का मानचित्र रिकॉर्ड शाखा में (डी.आर.जी.) क्रमांक 1327/बी दिनांक 09.10.2023 पर दर्ज किया गया है।

अतः रिकॉर्ड शाखा में दर्ज किये जाने के पश्चात् योजना मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- योजना मानचित्र की छायाप्रति।

राम  
उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर

# PROPOSED LAYOUT PLAN "KRISHANA KUNJ" VILLAGE:-JAISINGHPURA URF TEJAWALA TEHSIL SANGANER,JAIPUR

1327.  
B.  
9.10.23.



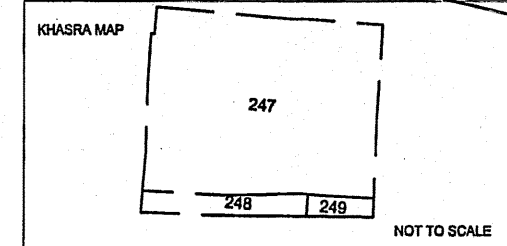
SCALE 1CM=6 MTR

ZDP Road 24.00 Mtr. Wide

JDA APPROVED  
THE PLATINUM CITY & THE PEARL AVENUE  
Existing Road 12.00Mtr. Wide

JDA APPROVED

जलदा मुफ्त इम्पोज  
मिफा जमा



NOT TO SCALE

मार्कर विकास योजना 2011 के अनुसार नू उपयोग  
नूखण्डों की निर्माण स्थिति :-  
आवासीय व्यावसायिक

1. पूर्ण / आंशिक निर्मित नूखण्ड -  
2. धार दीवारी निर्मित नूखण्ड -  
3. खाली नूखण्ड -118  
कुल नूखण्ड  
मीके के अनुसार योजना का नू उपयोग व तकनीकी विवरण :-

| क्रमांक     | नू उपयोग              | क्षेत्रफल (Sq.mtr) | प्रतिशत |
|-------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 1           | RESIDENTIAL           | 9353.82            | 59.68%  |
| 2           | RETAIL COMM.          | 313.88             | 2.00%   |
| 3           | कचरा निस्तारण केन्द्र | 51.14              | 0.33%   |
| 4           | टेलीकॉम टॉवर (I)      | 10.05              | 0.06%   |
| 5           | टेलीकॉम टॉवर          | 10.01              | 0.06%   |
| 6           | P.U.                  | 10.07              | 0.06%   |
| 7           | PARK                  | 793.44             | 5.06%   |
| 8           | ROAD                  | 5131.38            | 32.75%  |
| SCHEME AREA |                       | 15673.79           | 100.00% |

ARE NOT AVAILABLE 726.21

कुल योजना क्षेत्र 16400.00

जेडीए सेक्टर रोड

कुल सेक्टर रोड एवं वाणिज्य क्षेत्र

कुल खातेदार का क्षेत्र

योजना की भूमी की समूह, अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही एवं मीके पर भूमि का प्रमाणिकरण से हटा दिया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम  
राजसीलवार  
उपायुक्त जेन-

बी.पी.सी / जी.एल.सी. की वेब संख्या विवरण  
की अनुमति से योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SCHEME :-  
VILLAGE :- JAISINGHPURA  
TEH. :- SANGANER

ZONE NO. 11 SECTOR NO. 52

SCALE 1= DRG. NO.

S.T.P.

A.T.P. ZONE D.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

ZDP Road 24.00 Mtr. Wide

SECTOR ROAD 18.00 WIDE

योजना कृष्णा-कुंज को बी.पी.सी (एलपी) की 340वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में रखा जाकर योजना कृष्णा कुंज का अनुमोदन किया गया है:-

- आवासीय योजना (कृष्णा कुंज) का 90-ए का निर्णय दिनांक 02.08.2023 को पारित किया गया है।
- आवासीय योजना (कृष्णा कुंज) की भूमि रा.भू.रा अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणिकरण अमीन द्वारा किया गया है।
- बी.पी.सी (एलपी) के निर्णयानुसार आवेदित कुल 16400 वर्गमीटर भूमि में से 726.21 वर्गमीटर भूमि आवेदक के कब्जे से बाहर रखा जा कर ही योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- प्रकरण में ई-डब्ल्यूएस/ एल.आई.जी के समतुल्य राशि ली गई है।
- नूखण्ड पर टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की गयी है।
- नूखण्ड पर पैरामीटर्स भवन विनियम 2020 के अनुसार दिये गये हैं।
- योजना के आंतरिक विकास हेतु 12.5 प्रतिशत नूखण्ड (नूखण्ड संख्या 13 से 20 का क्षेत्रफल 1247.42 वर्गमीटर) रहन रखे गए हैं।
- आवेदक से प्रकरण से संबंधित समस्त लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क आदि लिये जा चुके हैं।

क.अभियन्ता  
जोन-11.

सहायक नगर नियोजक  
जोन-11

तहसीलदार  
जोन-11

उपायुक्त  
जोन-11

वरिष्ठ नगर नियोजक,  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अति. मुख्य नगर नियोजक,  
बी.पी.सी. (एल.पी.)